न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः-58/2013/भीलवाड़ा (2013/00019)

1. युसुफ खान पुत्र अहमद खान, जाति कायमखानी, निवासी पहलिया गेट के बाहर, तहनाल गेट रोड़, अहमद नगर, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. छीतर पुत्र कल्याण, जाति कहार, निवासी उदयभान गेट, कोटर मौहल्ला, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
2. जमना पुत्र मोती, जाति कहार,
3. कल्याण पुत्र मोती, जाति कहार,
4. मोडू पुत्र नंदा, जाति कहार,
5. रामनिवास पुत्र राधाकृष्ण, जाति बलाई,
समस्त निवासीगण शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

6. केसर बानो बेवा अहमद खान, जाति कायमखानी, निवासी पहलिया गेट के बाहर, तहनाल गेट रोड़, अहमद नगर, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 5.11.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 69/2012.

उपस्थितः-

1. श्री रोहित सोनी, वकील अपीलांट ।
2. श्री आर0एस0 राणावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-14.12.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 5.11.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वादपत्र बाबत् पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 3833 रकबा 0.25 है0 ग्राम शाहपुरा, पटवार हल्का शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में अवस्थित है। प्रतिवादी वादी की आराजी खसरा नंबर 3833 के पड़ौसी है जो आये दिन सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है । अतः वादपत्र स्वीकार कर वादी की आराजी संख्या 3833 रकबा 0.25 है0 की चारों दिशाओं का माप परिमाप करवा कर चारा दिशाओं में पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश वादी के पक्ष में प्रदान किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 5.11.2012 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर भू-अभिलेख निरीक्षक शाहपुरा को मौके पर पत्थरीगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है तथा यह आदेश भी साईक्लोस्टाइल आदेश की पूर्ति कर पारित किये है जो कानूनन आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 89 के तहत मानकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित है । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 3833 के चारो तरफ अपीलांट की खातेदारी आराजियात है तथा उक्त खसरा नंबर पर अपीलांट ही गत् 50 वर्षो से काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र की आड़ में राज0काश्त0अधि0 की धारा 183 के तहत दिये जाने वाला अनुतोष प्रदान करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे पारित किया था जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 5.72013 को तब हुई जब अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कर, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार होने से अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वर्तमान में अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में दिनांक 20.5.2013 को पत्थरगढ़ी की जा चुकी है जिससे अपीलांट की अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से अपास्त की जावे ।

6- हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 छीतर ग्राम शाहपुरा के खसरा नंबर 3833 रकबा 0.25 है0 का खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 का यह कथन रहा है कि रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 3833 के अपीलांट पडौसी काश्तकार है तथा दोनों के मध्य आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है । हम रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है एक खातेदार अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 5.11.2012 की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर विवादित खसरा नंबर 3833 का सीमांकन किया जा चुका है । चूंकि अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में पत्थरगढ़ी होने के उपरांत अपीलांट द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तो वह इस संबंध में सक्षम न्यायालय में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र है किन्तु पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना में पत्थरगढी किये जाने के उपरांत अपीलांट की अपील सारहीन होने से अपास्त योग्य पायी जाती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट सारहीन होने से अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 5.11.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 58/2013 (2013/00019) बउनवानी युसुफ बनाम छीतर व अन्य को अपास्त किया जाता हैं तथा उएपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 69/2012 बउनवान छीतर बनाम अहमद खां में पारित निर्णय दिनांक 5.11.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर